न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुंगरपूर राजस्थान

राकेश कुमार न्योल

पीठासीन अधिकारीः–

निर्णय दिनांकः–04.08.2022

प्रकरण सख्याः–93/2022 रेवेन्यु

1 श्री दौलतराम पिता गोरजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डूगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 136 भु राजस्व अधिनियम व

सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

अधिवक्ता वादीः– बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि वादी गांव खीरखाईया तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 14, खेत किता 1, कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर होकर स्थित है इसी प्रकार वादी व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी ग्राम खीरखाईया मे खाता सख्या 125 खसरा नम्बर 25 खेत किता 1 रकबा 4.1278 हैटेयर होकर स्थित है वादी ने कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु खाते की हाल जमाबंदी नकल निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादी का नाम दलु पिता गोरजी व दलु पिता गोरा दर्ज हो गया है जबकि वादी के आधार कार्ड व अन्य पहचान मे दौलतराम पिता गोरजी दर्ज रेकोर्ड जिस पर वादी ने रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही तो पटवारी ने रेकोर्ड दुरस्त करने से इंकार कर दिया गया है। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो वाद म्याद अवधि में पेश है। ऐसे मे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 14, खेत किता 1, कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर होकर स्थित है इसी प्रकार वादी व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी ग्राम खीरखाईया मे खाता सख्या 125 खसरा नम्बर 25 खेत किता 1 रकबा 4.1278 हैटेयर मे वादी का नाम दुरस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर पटवारी व तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर वादी का नाम दर्ज होना गलत पाया गया है। जिसका शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 14, खेत किता 1, कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर होकर स्थित है इसी प्रकार वादी व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी ग्राम खीरखाईया मे खाता सख्या 125

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

क्रमशः पेज दो पर

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 25 खेत किता 1 रकबा 4.1278 हैटेयर मे वादी का नाम दुरस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। ऐसे वाद स्वीकार कर डिकी किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं पत्रावली एवं पटवारी व तहसीलदार सीमलवाडा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिसमें वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 14, खेत किता 1, कुल रकबा 0. 2833 हैक्टेयर होकर स्थित है इसी प्रकार वादी व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी ग्राम खीरखाईया मे खाता सख्या 125 खसरा नम्बर 25 खेत किता 1 रकबा 4.1278 हैटेयर मे वादी का नाम दुरस्त कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हुं।

आदेश

प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम खीरखाईया में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 14, खेत किता 1, कुल रकबा 0.2833 हैक्टेयर मे दलु पिता गोरजी की जगह व इसी प्रकार वादी व अन्य सहखातेदार की शामलाती आराजी ग्राम खीरखाईया मे खाता सख्या 125 खसरा नम्बर 25 खेत किता 1 रकबा 4.1278 हैटेयर मे वादी का नाम दलु पिता गोरा की जगह दौलतराम पिता गोरजी अंकीत कर वादी का नाम दुरस्त करने का आदेश दिया किया जाता है।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 22.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner